प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखने हेतु राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन बिक्री, व्यापार आदि पर कर, राज्य उत्पाद, वाहनों पर कर, भू-राजस्व, मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क, विद्युत पर कर एवं शुल्क एवं खनन प्राप्तियाँ के लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणामों को समाहित करता है।

इस प्रतिवेदन में उल्लेखित मामलों में वैसे मामलों जो वर्ष 2012-13 के दौरान, 2011-12 की अवधि के लेखाओं के नमूना लेखापरीक्षा के क्रम में प्रकाश में आए साथ ही वे जो पूर्ववर्ती अवधि में प्रकाश में आए थे परन्तु जिन्हें पिछले प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किया जा सका था तथा जहाँ कहीं आवश्यक हुआ, वर्ष 2011-12 के बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी सम्मिलित किया गया है।

सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों के आधार पर लेखापरीक्षा की गई है।